



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर डींग जिले के पूंछरी का लौटा के श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले वे मेहदीपुर बालाजी भी गए जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नववर्ष के प्रथम दिन पूंछरी का लौटा धाम में गिराज महाराज के भी दर्शन करेंगे तथा विशेष पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने 2025 में प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिये पूजा अर्चना की

उन्होंने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मेहदीपुर बालाजी व पूंछरी का लौटा में श्रीनाथ की पूजा कर प्रदेश की उन्नति की कामना की

दौसा/डींग/जयपुर, 31 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नववर्ष से पूर्व दौसा जिले के मेहदीपुर बालाजी धाम तथा डींग जिले के पूंछरी का लौटा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने पूंछरी ग्राम में आमजन से मुलाकात की व बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। वे कल पूंछरी का लौटा धाम में गिराज जी की विशेष पूजा-अर्चना कार्यक्रम में भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार पहुंचे। जहां उनका हेलीकॉप्टर मीन को सिद्धपीठ मेहदीपुर बालाजी धाम भगवान मंदिर के पीछे स्थित हेलीपैड

पर उतरा। जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम व सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल समेत कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मुख्यमंत्री मंदिर पहुंचे। पीठाधीश्वर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने उनकी अगवानी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बरसों से बंद बोरवैल ठीक कराने पर गैस निकली

बोरवैल से अचानक गैस की गंध आने पर माचिस जलाई तो आग की लपटें उठीं

जोधपुर, 31 दिसंबर (कास)। जोधपुर में कई सालों से बंद बोरवैल से अचानक गैस निकलने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही एसडीएम तथा पुलिस भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम जवाहरराम चौधरी ने बोरवैल के 200 मीटर के एरिया में लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी। मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। घटना सोमवार को जोधपुर में नागौर रोड पर स्थित बावड़ी कस्बे की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर

जोधपुर के पास बावड़ी कस्बे में महेन्द्र देवड़ा 20 साल से बंद ट्यूबवैल की ठीक करा रहे थे, जहां यह घटना हुई। एम.बी.एम. युनिवर्सिटी के रासायनिक अभियंता के अनुसार, शुरुआती अनुमान में यह गैस मीथेन व हाइड्रोजन का मिश्रण लग रही है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ गैस का भंडार हो।

भी शेयर हो रहा है। अन्नाराव देवड़ा ने अपने घर के पास (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री का नव वर्ष संकल्प

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 में उनकी सरकार की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार वर्ष 2025 में और भी अधिक

प्र.मंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार नए वर्ष में विकसित भारत के सपने को पूरा करने को दृढ़ संकल्पित है।

मेहनत करने तथा विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोदी ने "माई गोव इंडिया" द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिमाचल में पारा माइनस 15 डिग्री पहुंचा

शिमला, 31 दिसंबर। हिमाचल कड़ाके की ठंड की चपेट में है। रविवार रात को ताबो में पारा माइनस 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इस सीजन में यह सबसे कम पारा दर्ज हुआ है। प्रदेश में धूप खिलने से हिमस्खलन

प्रदेश में कई जगह धूप खिली, इससे हिम स्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी।

का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश भर में 227 सड़कें बंद पड़ी हैं। अटल टनल रोहतांग, जलोढ़ी दर्रा और लाहौल जाने वाले सैलानियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एक जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। दो जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। दो से पांच जनवरी तक कई जगह बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रविवार रात मनाली, कल्या, कुकुमसेरी, भरमौर और समदों में भी पारा माइनस में दर्ज हुआ। सोमवार को राजधानी शिमला सहित, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 दिसंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालत आने में हुये असाधारण विलम्ब के स्पष्टीकरण में इस "अनुचित कथन" को अस्वीकार कर दिया कि इसका कारण वकील की लापरवाही या सुस्ती रहा।

अदालत ने उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो छः वर्ष के अत्यधिक विलम्ब के साथ दायर की गई थी तथा इस विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया जा सका। याचिकाकर्ता ने कहा कि वकील ने उसे भ्रमित किया, इसलिए देरी हुई।

जस्टिस सी. हरिशंकर तथा अनूप कुमार मेहरीदत्ता की डिवीजन बैंच ने कहा, "हम अदालत में आने के अनुचित तथा अत्यधिक विलम्ब के स्पष्टीकरण के इस अनुचित कथन को अस्वीकार करते हैं, जिसमें विलम्ब का कारण उस वकील की लापरवाही एवं सुस्ती तथा निष्क्रियता बताई गई है, जिसे यह केस सौंपा गया था। ऐसा कथन उस समय माना जा सकता है, जब वादी, संबंधित वकील के खिलाफ, उसकी शिकायत लेकर, बार कार्टिसिल में पहुंचा हो।"

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए 6 साल देरी से दायर याचिका खारिज की

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अप्रत्याशित देरी का उचित कारण नहीं बताया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके वकील ने उसे गुमराह किया था, इसीलिए याचिका दायर होने में इतना लम्बा समय लगा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता ने गुडगाँव में प्रैक्टिस कर रहे स्थानीय वकील की सेवाएं ली थी, जो उसे झूठी जानकारी देता रहा, जबकि केस दर्ज ही नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता ने वकील के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा रफीक बनाम मुंशीलाल केस (1981) में दिए गए फैसले के आधार पर दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वकील की गलती का खामियाजा मुक्किल को नहीं भुगतना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही एक अन्य केस मृण्मय मैती बनाम छंदा कोले केस में दिए गए फैसले का उल्लेख किया, जिसमें बहुत ज्यादा देरी से दायर याचिका का निर्णय करने के लिए कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत स्वविवेक का अधिकार दिया गया है।

एडवोकेट एम. के गौड़ याचिकाकर्ता की ओर से तथा एस.पी.सी. विनय यादव प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुये। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक

स्थानीय वकील के पास गये थे, जो गुडगाँव में प्रैक्टिस करता है तथा उसने कथित रूप से गलत जानकारी दी। याचिकाकर्ता को यह बात बहुत विलम्ब से मालूम हुई कि दिल्ली उच्च

न्यायालय में कोई देरी ही दायर नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने उस वकील के खिलाफ गुडगाँव की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में शिकायत की तथा उसके बाद, उसे ट्रिब्यूनल से केस का रिकॉर्ड

मिला और उसने यह याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने रफीक बनाम मुंशीलाल केस (1981) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर तर्क दिया कि वादी को उसके वकील की गलती का

खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उच्च न्यायालय ने, मृण्मय मैती बनाम छंदा कोले केस में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को अपने स्व-विवेक के अधिकार को काम में लेते समय, विलम्ब या सुस्ती को एक कारण के रूप में ध्यान में रखना चाहिए।

उक्त केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ऐसे याचिकाकर्ता, जो कोर्ट में विलम्ब से पहुंचता है या अपने अधिकारों के बारे में लम्बे समय तक सोता रहता है, को अपीलीय अदालतों द्वारा असाधारण राहत नहीं देनी चाहिए। इस अदालत ने कई बार कहा है कि विलम्ब औचित्य को पराजित कर देता है।

इसलिये, डिवीजन बैंच ने कहा कि रिट याचिका अदालत आने में हुये 6 साल के विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं देती है। अदालत ने कहा, "हम इस बात से आश्चर्य नहीं हैं कि याचिकाकर्ता ने 6 वर्ष के विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है।"

संस्कृत विद्वान डॉ.पी.एस. फिलियोजात का निधन

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर। संस्कृत के जाने-माने विद्वान एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजात का सोमवार को पेरिस में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे और

पद्मश्री से सम्मानित डॉ. फिलियोजात के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया।

कुछ समय से बीमार चल रहे थे। डॉ. फिलियोजात के परिवार में पत्नी डॉ. वसुंधरा कवाली फिलियोजात और दो पुत्रियां मनोन्मणि और भामती तथा उनके नाती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर फिलियोजात के निधन पर शोक जताया है और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। फ्रांसीसी मूल के भारतीय डॉ. फिलियोजात मैसूर में यादवगिरि में रहते थे। उन्हें पिछले सप्ताह तबियत खराब होने के बाद मैसूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए पेरिस भेजा गया था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधिक अंक पर नियुक्ति क्यों नहीं

जयपुर, 31 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 की अंतरिम मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद अभ्यर्थियों को बिना कारण बताए नियुक्ति से वंचित करने के मामले में चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहम्मद आमिर खान व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सेनी ने अदालत को बताया कि चिकित्सा विभाग ने 5 मई, 2023 को नर्सिंग ऑफिसर के 6981 पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें शैक्षणिक योग्यता

राजस्थान हाई कोर्ट ने चिकित्सा सचिव से जवाब मांगा।

और बोस अंकों के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान रखा गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में आवेदन कर भाग लिया और विभाग ने उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया। इसके बाद विभाग ने अंतरिम मेरिट लिस्ट बनाई गई। उक्त लिस्ट में भी याचिकाकर्ताओं का नाम शामिल था। वहीं बाद में विभाग की ओर से जारी अंतिम वरीयता सूची में याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं कर नियुक्ति से वंचित कर दिया। जबकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश को इंडिया गठबंधन में वापसी का ऑफर

सूत्रों ने बताया, राहुल गांधी ने अपने किसी सहयोगी के जरिए नीतीश को यह प्रस्ताव भेजा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 दिसंबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सहयोगी के मार्फत संपर्क साधा और उन्हें इंडिया ब्लॉक में लौटने का ऑफर दिया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को भाजपा नीत एन.डी.ए. (नैशनल डेमोक्रेटिक एलायंस) की बैठक के लिए दिल्ली बुलाया।

गृहमंत्री अमित शाह ने एन.डी.ए. नेताओं की एक बैठक में यह समझाने का प्रयास किया कि उन्होंने अम्बेडकर के खिलाफ कुछ नहीं कहा है विपक्ष के झूठे प्रचार से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यसभा में उनके बयान को लेकर जो प्रचार चल रहा है उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है और एन.डी.ए. को कांग्रेस के दुष्प्रचार से घबराने की जरूरत नहीं है। एन.डी.ए. बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना चाहता है। इसी बीच नीतीश

इसी बीच यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एन.डी.ए. की बैठक के लिए नीतीश को दिल्ली दिल्ली बुलाया था। सूत्रों ने बताया कि बैठक में अमित शाह-अंबेडकर संबंधी बयान पर स्पष्टीकरण देते और सहयोगी दलों के विपक्ष की बातों में नहीं आने के लिए आश्वस्त करेंगे। सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार ने पटना लौट कर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। अटकलें हैं कि वे शाह से अंबेडकर संबंधी बयान पर विरोध जताने के नाम पर एन.डी.ए. छोड़ सकते हैं। हालांकि, नीतीश कुमार के करीबी लोगों ने दावे से कहा कि अब वे पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन अमित शाह की इस बात को नीतीश मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने अंबेडकर पर कुछ भी गलत नहीं बोला।

पटना लौट गए और उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। इससे राज्य में अटकलें का बाजार गर्मा गर्मा है कि क्या नीतीश अम्बेडकर के मामले पर शाह के अडिग रहने के प्रति विरोध जताकर एन.डी.ए. छोड़ देंगे।

हालांकि नीतीश के करीबी लोगों ने कहा कि वे पाला नहीं बदलेंगे पर वे अमित शाह के इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि शाह ने अम्बेडकर पर कुछ भी गलत नहीं कहा था।

'मैं मणिपुर की जनता से "सारी" कहना चाहता हूँ, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ करें'

एन. बिरें सिंह ने मणिपुर की जनता से माफी मांग कर 2024 का समापन किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 दिसंबर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरें सिंह ने 2024 का समापन तथा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राज्य के जातीय संघर्ष के लिये राज्य की जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं तथा हजारों लोग बेघर हो गये हैं। उन्होंने सभी समुदायों से अपील की कि वे पिछली गलतियों को भुला दें तथा माफ कर दें तथा शांति एवं समृद्ध राज्य में मिलजुल कर रहें।

एक सार्वजनिक समारोह में बोलते हुये, सिंह ने पिछले वर्ष को "अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण" बताया तथा जनता द्वारा बर्दाश्त की गई तकलीफों को लेकर गहरा दुःख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे अफसोस हो रहा है, मणिपुर में जो कुछ हुआ है, उसके लिये मैं यहाँ की जनता को "सारी" कहना चाहता हूँ बहुत से लोगों की जानें चली गईं तथा लोग बेघर हो गये। मुझे वास्तव में बहुत दुःख एवं

बिरें सिंह ने जातीय हिंसा के लिए माफी मांगी और सभी समुदायों से बीती हुई गलतियों को माफ करने और भूल जाने की अपील करते हुए शांति और सद्भाव से रहने का आग्रह किया। मणिपुर की जातीय हिंसा में 250 से ज्यादा जानें गई हैं तथा हजारों बेघर हो गए हैं। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा शुरू हुई थी। हिंसा इतनी भीषण थी कि गाँव के गाँव जला दिए गए। वर्ष 2024 में भी हालात सामान्य नहीं हो पाए थे।

अफसोस है तथा मैं सभी पीड़ितों से क्षमा माँगता हूँ।" सिंह ने कहा कि पिछले तीन-चार महीनों से, राज्य में अपेक्षाकृत शांति है तथा इससे उन्हें आशा बँधी है कि नये वर्ष में सामान्य स्थिति बहाल हो जायेगी। उनके इस कथन के बाद, उन्होंने माफ कर देने तथा सामंजस्य बनाने का आवाहन किया तथा सभी समुदायों से जख्मों को भरने एवं आगे बढ़ने का आह्वान किया।

नारीश के इतिहास में, मणिपुर ने यह बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ

साल झेला है, जिसमें मतेई एवं कुकी समुदायों के बीच लम्बे समय से चली आ रही भू-अधिकार, अनुसूचित जनजाति दर्जा तथा प्रशासन से जुड़ी हुई शिकायतों को लेकर जातीय संघर्षों का रूप ले लिया। मई 2023 में शुरू हुई इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गये, हजारों लोग घायल हुये तथा दसियों हज़ार लोग विस्थापित हो गये। पूरे के पूरे गाँव जला दिये गये तथा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (आई.डी.पी.) राहत शिविरों में दौंस दिये गये तथा उन्हें

वहाँ जबरदस्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इस अशांत दौर में, कुछ गहरे मुद्दे भी उजागर हुये, जिनमें राज्य का कमजोर सामाजिक ताना-बाना तथा शासन-प्रशासन की चुनौतियाँ जैसे मुद्दे शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, हिंसा की छूट-पूट घटनाएँ महीनों तक जारी रही, जिनके कारण शांति की बहाली में विलम्ब हुआ।

मुख्यमंत्री ने अपनी अपील में सभी समुदायों से कहा कि वे अपने विरोधियों को माफ कर दें तथा पिछली सभी शिकायतों को भुला दें। उन्होंने राज्य के विभिन्न आदिवासी तथा जातीय ग्रुपों के बीच एकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सिंह ने कहा, "जो कुछ हुआ, वह हो गया। हम पिछली गलतियों को भूल जायें तथा माफ कर दें तथा शांति एवं समृद्धि से भरे नये जीवन की शुरुआत करें। मणिपुर की सभी मान्यता प्राप्त 34-35 जनजातियाँ मिलजुल कर सामंजस्य के साथ रहें।"